



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/412

08/08/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

**विषय:** भारतीय रुपए (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के संबंध में - विशेष रुपया वास्ट्रो खातों (एसआरवीए) पर आरबीआई अपडेट

**संदर्भ:** आरबीआई/2025-2026/71 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 08 दिनांक 5 अगस्त, 2025

हम आपको भारतीय रुपए (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के संबंध में **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** की ओर से एक महत्वपूर्ण नियामक अपडेट से अवगत कराना चाहते हैं।

11 जुलाई, 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के पैरा 10 के अनुसार, और हाल की समीक्षा के आलोक में, आरबीआई ने अब **अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-1 बैंकों** को निम्नलिखित की **अनुमति** दी है:

**भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना विदेशी संवाददाता बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलना।**

यह निर्णय **तत्काल** प्रभाव से लागू होगा और इसका उद्देश्य भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान को और अधिक सुगम बनाना है।

कृपया आरबीआई परिपत्र के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें:

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/PADRNO8E0508202570205EF7D8474AC8AEBED9309413E4BC.PDF>

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती परावे

उप निदेशक - व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद